

Public Copy
Mar 2023

Andhra Pradesh Office of Circle Officer, Deoghar, Jharkhand (Serial No. 1379/2023)

आदेश
 तिथि 16.3.23
 Date of application 16.3.23
 Date of order 16.3.23
 आदेश पर की गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रीय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मोजा बाघमारा थाना देवघर

खाता	प्लॉट	रकबा
2019 प घ छ	164	0 एकड़, 2.754 डिसमील, 0 हेक्टर
का बिक्रेता	रिश्ता	अभिभावक का नाम
विक्रेता का नाम	पिता	SRI OM PRAKASH LATH
SRI MAHESH KUMAR LATH	रिश्ता	अभिभावक का नाम
रैयत का नाम	पिता	SRI OM PRAKASH LATH
SRI MAHESH KUMAR LATH	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SRI MAHESH KUMAR LATH	पिता	SRI OM PRAKASH LATH

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 1019 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रियत

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रीय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि मोजा बाघमारा के अंतर्गत अधिग्रहित बसौड़ी सत्व की भूमि है जिसका सत्यापन उपायुक्त सह जिला विधि शाखा देवघर के द्वारा सत्यापित है, अतः निबंधित केवला, दखल एवं उपायुक्त देवघर के द्वारा सत्यापन के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया जा सकता है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन व अनुशंसा, निबंधित दलील एवं दखल के आधार पर नामान्तरण की स्वीकृति दी जाती है। यह आदेश पूर्णतः अपीलिय है। इस आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील किया जा सकता है।

अतः वार्षिक लगान 30 रुपये अलावे सेस के साथ नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।


शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
MOTI LAL HEMBROM
अंचलाधिकारी देवघर

Read by Moti Lal Hembrom
16/3/23

16-3-23

रूप-राज्य की मुद्रा
16/03/23
अंचल अतिरिक्त, देवघर



C.F. No. 182